अदिति महाविद्यालय
(दिल्ली विश्वविद्यालय)
बवाना, दिल्ली-११००३९

महाविद्यालय छात्रसंघ चुनाव - २०१०

सूचना

दिनांक : २३.०८.२०१०

महाविद्यालय की समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि रक्षा बन्धन त्यौहार के उपलक्ष्य में दिनांक २४ अगस्त, २०१० को महाविद्यालय में अवकाश रहेगा। महाविद्यालय छात्रसंघ चुनाव २०१० में नामांकन भरने की अन्तिम तिथि दिनांक २५ अगस्त, २०१० होगी। अत: इच्छुक छात्राएं २५ अगस्त, २०१० अपराह्न ३ बजे तक महाविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के लिये नामांकन भर सकती है।

डॉ. नीना पाण्डेय
चुनाव अधिकारी

डॉ. कल्पना भरारा
विशेष कार्याधिकारी (प्राचार्या)

अदिति महाविद्यालय
(दिल्ली विश्वविद्यालय)
बवाना, दिल्ली-११००३९

सूचना

महाविद्यालय की समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव व महाविद्यालय छात्रसंद्य चुनाव ३ सितम्बर, २०१० को हो रहा है। इसके अन्तर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंद्य के लिये छात्राए् प्रधान, उप-प्रधान, सचिव व सह-सचिव के चुनाव में भाग ले सकती हैं व चुनाव लड़ सकती हैं इसके नियमों की जानकारी के लिये छात्राएं् श्री आशुतोष अग्रवाल, अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) से सम्पर्क करे।

महाविद्यालय छात्रसंद्य चुनाव २०१०-११ के लिये चुनाव उपरोक्त तिथि को प्रधान, उप-प्रधान, सचिव व सह-सचिव पद हेतु निम्नलिखित नियमानुसार कराया जायेगा। इच्छुक छात्राएं् श्री आशुतोष अग्रवाल से सम्पर्क कर सकती है। नांमाकन पत्र दिनांक १८ अगस्त, २०१० से कार्यलय से प्राप्त कर सकते है।

<u>प्रधान पद हेतु</u>

१. प्रधान पद के चुनाव के लिये इच्छुक छात्रा का ततीय वर्ष की छात्रा होना आवश्यक है व बी. एल.एड. की ततीय व चतुर्थ वर्ष की छात्राएं् भी चुनाव लड़ सकती है।
२. चुनाव में इच्छुक छात्रा का सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है।

<u>उप-प्रधान पद हेतु</u>

१. चुनाव के लिये इच्छुक छात्रा का द्वितीय वर्ष की छात्रा होनी चाहिए्।
२. चुनाव में इच्छुक छात्रा का सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है।

<u>सचिव पद हेतु</u>

१. चुनाव के लिये इच्छुक छात्रा का द्वितीय व ततीय वर्ष की छात्रा होनी चाहिए्।
२. चुनाव में इच्छुक छात्रा का सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है।

<u>सह-सचिव पद हेतु</u>

१. चुनाव के लिये केवल प्रथम वर्ष की छात्राएं् ही लड़ सकती हैं।

<u>केन्द्रीय पार्षद हेतु</u>

१. केन्द्रीय पार्षद के चुनाव हेतु नामांकन विश्वविद्यालय नियमानुसार किया जायेगा।

जो छात्राएं् एक बार किसी भी पद चुनाव लड़ चुकी है वह दोबारा चुनाव नही लड़ सकती है। उपरोक्त सभी नियमों के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पारित नियमों को भी चुनाव में लड़ने वाली छात्राओं को पूर्ण करना पडेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पारित नियमों की जानकारी हेतु कार्यालय से सम्पर्क करें।

उपरोक्त सभी नियमों को पूरा करने वाली छात्राएं् अपना नामांकन प्रशासन कार्यालय में श्री राजेश जैन, सहायक (प्रशासन) से प्रात: १० बजे अपराह्न १ बजे तक प्राप्त कर सकती हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि २४ अगस्त, २०१० दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा घोषित की गयी हैं।

डॉ. कल्पना भरारा

चुनाव अधिकारी — विशेष कार्याधिकारी (प्राचार्या)